न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 46/21

1. घूरेलाल पुत्र श्री लच्छीराम जाति जाटव निवासी ग्राम गढी जवाहर तहसील राजाखेडा
..........................वादी

बनाम

1. डरोली पुत्र बोदला (मृत दौरानवाद)
2. प्रभू पुत्र भवानी (मृत दौरान वाद)

2/1 चन्द्रवती पुत्री प्रभूदयाल
2/2 भीकमसिंह पुत्र प्रभूदयाल
2/3 मु0 रामकटोरी बेबा प्रभूदयाल

समस्त जातिगण जाटव निवासी ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

3. मुकेश पुत्र गुलावसिंह जाति जाटव निवासी पहाडी तहसील राजाखेडा
4. सूखा पुत्र पन्ना (मृत दौरान वाद)
4/1 भीकम
4/2 प्रमोद
पुत्रगण स्व0 सूखा जातिगण जाटव निवासीगण पहाडी तहसील राजाखेडा
5. सोनवती पुत्री डरोली (मृत दौरान वाद)
5/1 राजेश पुत्र नारायनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा
6. मन्नी पुत्र नत्थीलाल जाति धोबी निवासी बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.......................मूलप्रतिवादीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर

.....................तरतीवी प्रतिवादी

दावाः– वाद–बंटवारा काश्त मय स्थाई निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 53 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः– विद्वान अधिवक्तागण
1. **श्री– किशन सिंह त्यागी अधिवक्ता वादी।**
2. **श्री– ऐ0 के0 जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4/1, 4/2**

निर्णय

मु0नं0 46/21 दिनांकः– 12.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपना वाद इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0नं0 762 रकवा 0.4932 है0 स्थित ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा ज़िला धौलपुर है। विवादित आराजी में वादी 7/24 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 एक अकेला 1039/47190 भाग का, प्रतिवादी संख्या 2 दौ अकेला 5449/47190 भाग का, प्रतिवादी संख्या 3 तीन अकेला 1/24 भाग का, प्रतिवादी संख्या 4 चार अकेला 1/4 भाग का, प्रतिवादी संख्या 5 पॉच अकेली 920/4719 भाग की, प्रतिवादी संख्सा 6 छः अकेला 1208/23595 भाग के संयुक्त रूप से अभिलिखित खातेदार काश्तकार एवं अधिपत्यधारी है। विवादित आराजी का वादी एवं मूलप्रतिवादीगण के मध्य वाहमी विभाजन पूर्व में हो चुका है। जिसके अनुसार वादी को राजाखेडा से धौलपुर मार्ग के सहारे 65 पैसठ फुट चौडी एवं 190 एक सौ नब्बे फुट लम्बी भूमि प्राप्त हुई है। जिसमें से 29 गुणा 78 फुट पर वादी ने पक्का निर्माण कर दुकानात बना ली है। इसी प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

प्रतिवादी संख्या 5 पॉच ने रोड के सहारे 6 छः दुकानात बना ली है तथा प्रतिवादी संख्या 6 छः ने 4 दुकानात बना ली है। शेष प्रतिवादीगण पीछे की तरफ वहामी विभाजन के मुताविक काविज काश्त है लेकिन मूल प्रतिवादीगण वहामी विभाजन से मुकर रहे है तथा वादी के कब्जे की भूमि को हडपना चाहते है। वादी ने भारी राशि लाखों रूपये खर्च कर निर्माण किया है। वादी वाद दायरी से पूर्व दिनांक 25..06.2021 को अपने हिस्से की भूमि पर था। तभी मूल प्रतिवादीगण आये तथा इजहार किया कि वे वहामी विभाजन को नहीं मानते है मूल प्रतिवादीगण जुमला वादी को वहामी विभाजन से काबिज आराजी से बेदखल करेगें तथा स्वंय कब्जा करेगें जब वादी ने मूल प्रतिवादीगण को वहामी विभाजन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन करने का निवेदन किया तो मूल प्रतिवादीगण बंटवारा करने से साफ इन्कारी हो गये। जिससे वादी एवं मूल प्रतिवादीगण के सम्बन्ध मधुर नहीं रहे है। ओर न्यायालय के माध्यम से बंटवारा राजस्व अभिलेखों में कराना वादी को लाजमी हो गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी को अपने हितों की रक्षार्थ यह आवश्यक हो गया है कि वादी विवादित आराजी का बंटवारा वहामी विभाजन एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए करावें तथा राजस्व अभिलेख में खाता एवं लगाान पृथक–पृथक करावें एतदर्थ वादी दावेदार है। वादी मूल प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। कि मूलप्रतिवादीगण वहामी विभाजन के आधार पर काविज वादी को बेदखल नहीं करें। तथा स्वंय कब्जा कर उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें। एतदर्थ वादी दावेदार है। वादी को वादकरण विरूद्व मूल प्रतिवीदीगण वाद दायरी से पूर्व दिनांक 25.06.2021 को धमकी देने पर प्राप्त हो चुका है। जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 7 को भूमिधोरी होने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। उसके विरूद्व कोई भी अनुतोष नहीं चाहा है। दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न रूप से डिक्री करने की कृपा करें। विवादित आराजी का बंटवारा बहामी विभाजन एवं कब्जे को ध्यान में रखते हुए किया जावें तथा राजस्व अभिलेख में खाता एवं लगान पृथक–पृथक किया जावें प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि मूल प्रतिवादीगण विभाजन के आधार पर काविज वादी को बेदखल नहीं करें तथा स्वयं कब्जा कर उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 4/1 व 4/2 की ओर से श्री ऐ0 के0 जैन ने वकालतनामा पेश किया लेकिन कोई जबावदेई नहीं की। एवं प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगा0 2/3 तथा 5/1, 6 बाबजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा जरियें वकील वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् दावा प्राथमिक डिकी किए जाने का निवेदन किया। दिनांक 22.11. 2021 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव मँगवाए गए। दिनांक 09.10.2023 को तहसीलदार राजाखेडा से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हुए वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा तहसीलदार राजाखेडा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने जरिये अधिवक्तागण दिनांक 12.10.2023 को मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव बंटवारा किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव दावा अंतिम डिकी किए जाने का निवेदन किया। वादी और प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.10.2023 को राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया तथा बाद मुताविक राजीनामा डिकी करने का निवेदन किया।

हमने तहसीलदार राजाखेडा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित आराजी का बंटवारा किये जाने में अपनी सहमति प्रस्तुत की गयी है। जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अतः वादी का वाद मुताविक कुर्रेजात प्रस्ताव एवं राजीनामा डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 762/1 रकवा 0.1233 है0 लगान 0.0400 भीकम, प्रमोद पुत्रान पन्ना हिस्सा0 बराबर जाति जाटव सा0देह खातेदार एवं आराजी ख0नं0 762/2 रकवा 0.1233 है0 लगान 0.0400 राजेश पुत्र नारायनसिंह जाति जाटव सा0देह खातेदार के हिस्से में तथा आराजी ख0नं0 762/3 रकवा 0.0205 है0 लगान 0.0066 मुकेश पुत्र गुलाव सिंह जाति जाटव सा0 देह के हिस्से में तथा आराजी ख0 नं0 762/4 रकवा 0.1438 है0 लगान 0.0467 घूरेलाल पुत्र लच्छीलाल जाति जाटव सा0 गढी जवाहर खातेदार के हिस्से एवं आराजी ख0नं0 762/5 रकवा 0.0822 है0 लगान 0.0267 मन्नी पुत्र नत्थीलाल हि0 2416/7865 जाति धोबी, सा0 बदरिका तहसील सैपऊ जिला धौलपुर व भीकम पुत्र प्रभू हि0 5449/23595 व चन्द्रवती पुत्री प्रभूवयाल हि0 5449/23595 व रामकटोरी पत्नि प्रभूदयाल हिस्सा 5449/23595 जाति जाटव सा0 देह खातेदार के हिस्से कब्जे में रहेगी। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

खाते कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार राजाखेडा को पालना हेतु परवाना जारी किया जाकर। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा